न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 150 / 2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 / 53 आरटीए

1. हनुमान प्रसाद पुत्र भागीरथ जाति बिश्नोई साकिन नारायणपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का
2. रामकुमार उर्फ फकीरचन्द पुत्र भागीरथ जाति बिश्नोई साकिन नारायणपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का

**वादीगण**

**बनाम**

1. जगदीश प्रसाद पुत्र भागीरथ जाति बिश्नोई साकिन नारायणपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का हाल साकिन वार्ड नं. 5 भोपालपुरा तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. तहसीलदार, राजस्व संगरिया

**प्रतिवादीगण**

उपस्थित :–

1– श्री राम निवास बेदी वकील वादी
2– श्री अमित बिश्नोई – वकील प्रति सं. 1
3– तहसीलदार राजस्व संगरिया– राज–पैरोकार प्रति.संख्या 2

निर्णय दिनांक :– 08-07-2024

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 / 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 10 केएसडी जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता सं. 68 / 53 के कुल साक्षा खाता 1.265है. मय गै.मु. खाला बहिब राजस्व रिकार्ड है। इसी अनुसार इसी चक के खाता सं. 70 / 27 के कुल साझा 1.320है मय गै.मु. खाला, रास्ता में से वादी सं. 1 हनुमानप्रसाद के नाम 835 / 1320है. व वादीगण सं. 2 रामकुमार उर्फ फकीरचन्द के नाम 430 / 1320है. हिस्सा विवादित भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी है। उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित सांझा खाता की कुल कृषि भूमि को लेकर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 सह खातेदारों के बीच अच्छी में से अच्छी व मंदी में से मन्दी भूमि को लेकर रास्ता खाला की सुविधानुसार घराघरू विभाजन अर्सा दराज पूर्व हो चुका है। उपरोक्त घराघरू विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरचित प्रावधानों को ध्यान में रखकर काश्त की सुविधानुसार किया गया है। घरू विभाजन में प्रतिवादी सं. 1 जगदीश ने अपने हक हिस्सा क साझा खाता की चक 10 केएसडी जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता 68 / 53 में दर्ज कुल 1.265है. हिस्सा [illegible] अपना 1 / 3 हिस्सा यानि 0.421है. पैतृक हिस्सा में से 0.273है. हिस्सा [illegible] 1 [illegible] 0. 148है. हिस्स वादी सं. 2 को हिस्सा में दिया गया है। जिसकी एवज में [illegible] ने प्रतिवादी सं. [illegible] को गांव भोपालपुरा तहसील सुरतगढ़ में भूमि खरीद कर दी गई है। [illegible] प्रतिवादी सं. [illegible] भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं है। इसलिए वादीगण के हक हिस्सा में आई कब्जा काश्त [illegible] भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:25:11
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वादी सं. 1 हनुमानप्रसाद के हिस्सा में आई कब्जाकाश्त की भूमि का विवरणः–

चक 10 के.एस.डी. जमाबंदी सं. 2070 से 2073 खाता सं. 68/53

| प.नं. | मु. | कि.नं. |
|---|---|---|
| 130/110 | 16 | 2/1/0.228, 2/2/0.025, 9/0.253 12/0.253, 19/0.253, 22/0.253 कुल 1.265है. मय गै.मु. 0.025है. खाला |

चक 10 केएसडी जमाबंदी सं.त 2070–73 खाता सं. 70/27

| प.नं. | मु. | कि.नं. |
|---|---|---|
| 130/109 | 13 | 22/0.253, 23/1/0.021, कुल 0.274है. दोनो खाता में कुल 1.539है. |

वादी सं. 2 रामकुमार उर्फ फकीरचन्द के हिस्सा में आई कब्जा काश्त की भूमि का विवरणः–

चक 10 के.एस.डी जमाबंदी सं. 2070 से 2073 खाता सं. 68/53

| प.नं. | मु. | कि.नं. |
|---|---|---|
| 130/110 | 16 | 3/1/0.228, 3/2/0.025, 8/0.253 13/2/0.126 कुल 0.632है. मय गैर मु. 0.025हैख खाला |

चक 10 के.एस.डी. जमाबंदी सं. 2070 से 2073 खाता सं. 70/27

| प.नं. | मु. | कि.नं. |
|---|---|---|
| 130/109 | 13 | 17/2/0.051, 17/4/0.017गै.मु. रास्ता 18/1/0.076, 18/2/0.038है. गै.मु. रास्ता 23/0.232 कुल 0.414है. दोनो खाता में कुल 1.046है. |

उक्तशक्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की घरू बंटवारा के रोज से शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चली आ रही है। कब्जा काश्त को लेकर आज भी कोई विवाद नहीं है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित भूमि घरू बंटवारा मुताबिक वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णितानुसार आज वादीगण के नाम राजस्व रिकार्डा में दर्ज नहीं होने के कारण तथा खाता सांझा व विवादित होने के कारण सिंव बट रकम राज आबयाना इत्यादि को लेकर बिना वजह विवाद रहता है। जबकि वादीगण वाद पत्र कि चरण सं. 3 में वर्णितानुसार घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार कहलाने के अधिकारी व दावेदार है। तथा अपना खाता कब्जा काश्त मुताबिक अलग कायम करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। तथा प्रतिवादी सं. 1 का विधिक दायित्व बनात है कि वो वादीगण को घरू बंटवारा मुताबिक खातेदार काश्तकार मानकर वाद भूमि का खाता कब्जा काश्त मुताबिक अलग कायम करवा लेंवे। यह कि गत माह वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को नम्र निवेदन किया कि वो वाद पत्र की चरण सं. 3 मुताबिक वादीगण को खातेदार काश्तकार मानते हुए अपना खाता कब्जा काश्त मुताबिक अलग कायम करवा लेवे। तो पहले तो वह आज कल आज कल करते रहे गत सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट इनकार हो गए। बस यही वाद कारण है। वाद पत्र में प्रतिवादी सं. 1 को सह हिस्सेदार होने के कारण व प्रतिवादी सं. 2 को भूमि धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनके खिलाफ प्रत्यक्षतय कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वाद वादीगण घोषणात्मक खातेदारी अधिकारों का व कब्जा काश्त मुताबिक खाता तकसीम का है जो उचित कोर्ट फीस पर पेश है तथा काबिल समायत अदालत वाला व अन्दर मियाद है।

लिहाजा वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद तहकीकात कर वादीगण निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावे कि चक 10 केएसडी खाता सं. 68/53 में 1.256है. हिस्सा का व इसी तथा के खाता स. 70/27 में 0.274है. हिस्सा का वादी सं. 1 हनुमानप्रसाद व चक 10 केएसडी खाता स. 70/27 में शेष हिस्सा 1.046है. हिस्सा का वादी सं. 2 रामकुमार उर्फ फकीर चन्द खातेदार काश्तकार है। वादीगण का खाता वाद पत्र की चरण सं. 3 के मुताबिक अलग कायम किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:25:1
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

आबयाना अलग जमा करवाया जावे। चक 10 केएसडी खाता सं. 68/53 में दर्ज 1.256है. हिस्सा में से वादी सं. 2 रामकुमार व प्रतिवादी सं. 1 जगदीश चन्द्र का नाम व हिस्सा कलमजन कर समस्त हिस्सा वादी सं. 1 हनुमान प्रसाद के नाम दर्ज किया जावे। इसी अनुसार चक 10 केएसडी खाता सं. 70/27 में दर्ज 1.320है. हिस्सा में से 0.274हहै. वादी सं. 1 हनुमान प्रसाद के नाम व शेष 1.046है. हिस्सा वादी सं. 2 रामकुमार उर्फ फकीर चन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर विवादित खाता दुरूस्त किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना इकबालदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। इकबाल दावा के साथ आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश कि है। प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 1 हनुमानप्रसाद ने अपना शपत्र पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादीगण एवं प्रतिवादी ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ चक 10 केएसडी खाता संख्या 68/63 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 एवं चक 10 केएसडी खाता संख्या 70/27 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 प्रदर्श करवाई है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि चक 10 केएसडी खाता संख्या 68/63 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 एवं चक 10 केएसडी खाता संख्या 70/27 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादीगण व प्रतिवादी आपस मे सहमत है और सहमति का इकबालदावा भी पेश हो चुका है तथा वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार चक 10 केएसडी खाता संख्या 68/63 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 एवं चक 10 केएसडी खाता संख्या 70/27 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो प्रदर्श 1 ता 2 से साबित है। प्रतिवादी सखंया 1 ने जरिये अधिवक्ता इकबालदावा पेश कर चक 10 केएसडी खाता संख्या 68/53 में कुल दर्ज 0.421 अपने हक/हिस्सा में से वादी संख्या 1 को 0.273 है. नहरी मय गै.मु. एवं वादी संख्या 2 को 0.148 है. नहरी मय गै.मु. उनके पक्ष में करने की सहमति दी। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए मौका पर तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का इकबालदावा पेश हो चुका [illegible] वाद वादीगण मुताबिक सहमति के इकबालदावा अनुसार डिक्री किया [illegible] अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.06 13:25:11 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक 10 केएसडी खाता सं. 68/53 में 1.256 है. हिस्सा का व इसी चक के खाता सं. 70/27 में 0.274है. हिस्सा का वादी सं. 1 हनुमानप्रसाद व चक 10 केएसडी खाता स. 70/27 में शेष हिस्सा 1.046है. हिस्सा का वादी सं. 2 रामकुमार उर्फ फकीर चन्द खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं चक 10 केएसडी खाता सं. 68/53 में दर्ज 1.256 है. हिस्सा में से वादी सं. 2 रामकुमार व प्रतिवादी सं. 1 जगदीश चन्द्र का नाम व हिस्सा कलमजन कर समस्त हिस्सा वादी सं. 1 हनुमान प्रसाद के नाम दर्ज कर इसी अनुसार चक 10 केएसडी खाता सं. 70/27 में दर्ज 1.320है. हिस्सा में से 0.274 है. वादी सं. 1 हनुमान प्रसाद के नाम व शेष 1.046है. हिस्सा वादी सं. 2 रामकुमार उर्फ फकीर चन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने एवं वादीगण का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

वादी सं. 1 हनुमानप्रसाद के हिस्सा में आई कब्जाकाश्त की भूमि का विवरणः–

चक 10 के.एस.डी. जमाबंदी सं. 2070 से 2073 खाता सं. 68/53

| प.नं. | मु. | कि.नं. |
|---|---|---|
| 130/110 | 16 | 2/1/0.228, 2/2/0.025, 9/0.253<br>12/0.253, 19/0.253, 22/0.253 कुल 1.265है.<br>मय गै.मु. 0.025है. खाला |

चक 10 केएसडी जमाबंदी सं.त 2070–73 खाता सं. 70/27

| प.नं. | मु. | कि.नं. |
|---|---|---|
| 130/109 | 13 | 22/0.253, 23/1/0.021, कुल 0.274है.<br>दोनो खाता में कुल 1.539है. |

वादी सं. 2 रामकुमार उर्फ फकीरचन्द के हिस्सा में आई कब्जा काश्त की भूमि का विवरणः–

चक 10 के.एस.डी जमाबंदी सं. 2070 से 2073 खाता सं. 68/53

| प.नं. | मु. | कि.नं. |
|---|---|---|
| 130/110 | 16 | 3/1/0.228, 3/2/0.025, 8/0.253<br>13/2/0.126 कुल 0.632है.<br>मय गैर मु. 0.025हैख खाला |

चक 10 के.एस.डी. जमाबंदी सं. 2070 से 2073 खाता सं. 70/27

| प.नं. | मु. | कि.नं. |
|---|---|---|
| 130/109 | 13 | 17/2/0.051, 17/4/0.017गै.मु. रास्ता<br>18/1/0.076, 18/2/0.038है. गै.मु. रास्ता<br>23/0.232 कुल 0.414है.<br>दोनो खाता में कुल 1.046है. |

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 08-07-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, लालसोट

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.06 13:25:11 IST
Reason: SelfAttested